न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, पटना

सत्र वाद सं0–525/2025

15.10.2025 प्रस्तुत मामले में कुल दो अभियुक्तों में से अभियुक्त सैयद अली रजा हासिमी की हाजिरी है तथा एक अन्य अभियुक्त अनुपस्थित। आज उपस्थित अभियुक्त के तरफ से दाखिल उन्मोचन आवेदन दिनांक 02.09.2025 पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुनने के पश्चात अभिलेख आज आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

उपरोक्त आवेदन में उल्लिखित तथ्यों के आलोक में आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रस्तुत मामले में उसके तरफ से पूर्व कोई अन्य उन्मोचन आवेदन किसी वरिष्ठ न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। उनका आगे कथन है कि इस मामले में अनुसंधानक द्वारा आवेदक एवं अन्य सह–अभियुक्तों के विरूद्ध भा0द0स0 की धारा 395, 397, 120बी और आयुध अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपराध के लिए आरोप पत्र समर्पित किया गया है और उन्हीं धाराओं में अपराध का संज्ञान लिया गया है। उनका आगे कथन है कि आवेदक को इस मामले में संदेह और अनुमान के आधार पर झूठा फंसाया गया है जबकि उसके विरूद्ध कोई ठोस सामग्री नहीं है। उनका आगे कथन है कि आवेदक का नाम न तो प्राथमिकी में है और न ही जांच के दौरान अंकित किए गए साक्षियों के बयान में आया है। आवेदक प्रासंगिक समय पर घटनास्थल पर मौजूद नहीं था और कथित अपराध में उसकी भागीदारी को स्थापित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है। आवेदक के सचेत कब्जे से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है और न ही आवेदक के कहने पर कोई ऐसी बरामदगी हुई है जो उसे कथित अपराध से जोड़ती हो। आवेदक के विरूद्ध पूरा मामला अनुमान और निराधार संदेह पर आधारित है, जो किसी निर्दोष व्यक्ति पर मुकदमा चलाने का आधार नहीं हो सकता। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री को स्वीकार किया जाए तो भी उसके विरूद्ध भा0द0स0 की धारा 395, 397 एवं आयुध अधिनियम की धारा 27 के तहत अपराध नहीं बनता है। आवेदक के विरूद्ध आरोप गठन के लिए कोई सामग्री अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। अतः आवेदक के विरूद्ध लगाए गए सभी कथित आरोपों से मुक्त किया जाए।

विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा कथन किया गया है कि आवेदक अभियुक्त प्राथमिकी का नामित अभियुक्त नहीं है, अनुसंधान के क्रम में आवेदक का नाम आया है तथा अनुसंधानोपरांत घटना को सत्य पाते हुए आवेदक एवं अन्य के विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित किया गया है। अभिलेख पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप गठन किए जाने हेतु पर्याप्त समग्री उपलब्ध है। अतः अभियुक्त के तरफ से दाखिल उन्मोचन आवेदन खारिज किया जाए।

दोनों पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

द0प्र0स0 की धारा 227 में उल्लिखित प्रावधानों के अवलोकनोपरांत यह न्यायालय पाती है कि अभिलेख के इस प्रक्रम पर अभियुक्त के विरूद्ध दोषसिद्धि या दोषमुक्ति के सामग्री की उपलब्धता को नहीं देखना है अपितु न्यायालय को सिर्फ यह

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, पटना

सत्र वाद सं0–525/2025

लगातार
15.10.2025

देखना है कि क्या अभियुक्त के विरूद्ध अभिकथित अपराध के संबंध में आगे की कार्यवाही हेतु प्रथम दृष्टया मामला उत्पन्न होता है।

अभिलेख के अवलोकन से यह विदित होता है कि यह मामला वादी अंसार अली मुल्ला के फर्दबयान के आधार पर अज्ञात अपराधकर्मियों के विरूद्ध सूचक का सोने का जेवर भरा बैग लूटने और सूचक के बेटे को गोली मारकर जख्मी करने के लिए दर्ज कराया गया है। अनुसंधान के क्रम में घटनास्थल एवं आसपास के क्षेत्र का डम्प डेटा के तकनीकी विश्लेषण करने पर दो मोबाइल नं0 8409698786 एवं 9431246582 संदिग्ध पाया गया है। इन दोनों नम्बरों के प्राप्त एस0डी0आर0 में धारक का नाम आवेदक अभियुक्त पाया गया है। आवदेक अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त तीनों मोटरसाइकिल, जो विभिन्न जगहों पर छुपाकर रखी गई थी तथा घटना कारित करते समय सभी अपराधियों द्वारा पहने गए जैकेट एवं हेलमेट को आवेदक अभियुक्त के कमरे से बरामद किया गया है। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल चोरी की बताई गई है। आवेदक अभियुक्त इस पूरे घटनाक्रम का मूख्य सूत्रधार है, जो घटना के दौरान घटनास्थल से कुछ दूरी पर खड़ा होकर स्थिति पर निगरानी कर रहा था। आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध घटना सत्य पाते हुए आवेदक एवं अन्य के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 395, 397, 120बी एवं आयुध अधिनियम धारा 27 के अंतर्गत आरोप पत्र समर्पित किया गया है तथा उन्हीं धाराओं में अभियुक्तों के विरूद्ध संज्ञान लेते हुए इस मामले का दौरा सुपूर्द करने के उपरांत यह वाद इस न्यायालय में विचारण हेतु प्राप्त हुआ है।

अतः अभिलेख के अवलोकन से एवं उपरोक्त तथ्यों के विश्लेषण के आलोक में आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 395, 397, 120बी एवं आयुध अधिनियम धारा 27 के अंतर्गत आरोप गठन किए जाने हेतु पर्याप्त आधार है। अतएव, उपरोक्त आवेदक अभियुक्त के तरफ से दाखिल उन्मोचन आवेदन दिनांक 02.09.2025 में कोई बल प्रतीत नहीं होता है। अतः उसे **खारिज** किया जाता है। वाद दिनांक 04.11.2025 को वास्ते आरोप गठन हेतु सभी अभियुक्तगण सदेह उपस्थित रहें।

लेखापित एवं संशोधित

(संगम सिंह)
अपर सत्र न्या0–प्रथम